

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२४

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्य की अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तीस हजार दो सौ पैंसठ करोड़ पंद्रह लाख चौदह हजार छः सौ के लिये राज्य की ब्यालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं संचित निधि में से रुपये और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. ३,०२,६५,१५,१४,६४२ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के विनियोग. लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवार्य और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
. भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	१२,००,००,०१,३००	१२,००,००,०१,३००
	पूंजी	०	२००	२००
००१. सामान्य प्रशासन	राजस्व	२४,४०,०९,८६४	०	२४,४०,०९,८६४
००२. विमानन	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
००३. गृह	राजस्व	२००	०	२००
	पूंजी	३००	०	३००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
००५. जेल	राजस्व	३००	०	३००
००६. वित्त	राजस्व	४,८००	०	४,८००
००७. वाणिज्यिक कर	राजस्व	१,५४,७०,९१,४००	०	१,५४,७०,९१,४००
	पूंजी	१९,००,००,०००	०	१९,००,००,०००
०१२. ऊर्जा	राजस्व	७,५९,५७,००,६००	०	७,५९,५७,००,६००
	पूंजी	१,३३,६५,००,००,७००	०	१,३३,६५,००,००,७००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१,३००	०	१,३००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	८६,१५,७१,६००	०	८६,१५,७१,६००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग	राजस्व	६००	०	६००
०१७. सहकारिता	राजस्व	६००	०	६००
	पूंजी	६००	०	६००
०१८. श्रम	राजस्व	१,२५,००,०००	०	१,२५,००,०००
०१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	४,२२,५०,००,०००	०	४,२२,५०,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	२६,१६,५६,५०,०००	०	२६,१६,५६,५०,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२२. नगरीय विकास एवं आवास				
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	६००	०	६००
०२३. जल संसाधन				
	राजस्व	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
	पूंजी	४,१०,००,०९,७००	१०,००,००,०००	४,२०,००,०९,७००
०२४. लोक निर्माण कार्य				
	राजस्व	८००	०	८००
	पूंजी	१९,८५,००,१२,२००	४,००,००,००,०००	२३,८५,००,१२,२००
०२५. खनिज साधन				
	राजस्व	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
	पूंजी	६०,००,००,०००	०	६०,००,००,०००
०२७. स्कूल शिक्षा				
	राजस्व	३,५०,००,००,३००	०	३,५०,००,००,३००
	पूंजी	२,०००	०	२,०००
०२८. राज्य विधान मंडल				
	राजस्व	४००	०	४००
०२९. विधि और विधायी कार्य				
	पूंजी	२००	०	२००
०३०. ग्रामीण विकास				
	राजस्व	५,२९,००,००,२००	०	५,२९,००,००,२००
	पूंजी	२००	०	२००
०३२. जनसंपर्क				
	राजस्व	३,२४,००,००,०००	०	३,२४,००,००,०००
०३३. जनजातीय कार्य				
	पूंजी	२५,९८,७५,०००	०	२५,९८,७५,०००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण				
	राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३७. पर्यटन				
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	३००	०	३००
०३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.				
	राजस्व	१,५०,००,००,७००	०	१,५०,००,००,७००
	पूंजी	६००	०	६००
०४०. पंचायत				
	राजस्व	२१,३५,००,००,०००	०	२१,३५,००,००,०००
०४४. उच्च शिक्षा				
	राजस्व	४,२००	०	४,२००
	पूंजी	३,६००	०	३,६००
०४८. नर्मदा घाटी विकास				
	राजस्व	६२,५०,००,०००	०	६२,५०,००,०००
	पूंजी	८,०७,००,००,०००	०	८,०७,००,००,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
०५२. चिकित्सा शिक्षा				
	राजस्व	२,२३,०६,००,०००	०	२,२३,०६,००,०००
	पूंजी	३,६२,५०,००,०००	०	३,६२,५०,००,०००
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
	राजस्व	१००	०	१००
०५५. महिला एवं बाल विकास				
	राजस्व	३३,८५,८०,६८,९७८	०	३३,८५,८०,६८,९७८
	पूंजी	२६,०४,००,०००	०	२६,०४,००,०००
योग :	{ राजस्व :	८९,७३,०५,५७,१४२	१२,००,००,०१,३००	१,०१,७३,०५,५८,४४२
	{ पूंजी :	१,९६,८२,०९,५६,०००	४,१०,००,००,२००	२,००,९२,०९,५६,२००
वृहद्-योग :		२,८६,५५,१५,१३,१४२	१६,१०,००,०१,५००	३,०२,६५,१५,१४,६४२

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ७ फरवरी, २०२४

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”.

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.